


सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा नहर परियोजना

खरीफ 1425 फसली का प्रस्तावित रोस्टर दिनांक 30.06.2017 से 31.10.2017 तक

लखावटी शाखा प्रणाली का मानचित्र



मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

--: कृषकों हेतु सूचना :-

किसान भाइयों

(अ) :- क्या आप जानते हैं कि :-

- 1- फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।
- 2- कुलाबों की गूल ठीक दिशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
- 3- यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी0 ऊँची मेंड से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लगेगा।
- 4- शामिल बरहा :- किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसकी गूल में निजी साधन से पानी लेकर सींच की गयी हो तो सींच कर लगेगा। यदि पूरी फसल का पानी न लेना हो तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को फसल आरम्भ होने से पूर्व भी लिखित में दे दें। इस अवस्था में शामिल बरहा नहीं होगा, परन्तु इसके बाद नहर से पानी लिया गया हो तो सिंचाई कर का दो गुना दण्ड सिंचाई का अतिरिक्त लगेगा।
- 5- तावान :- यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक ढग से की गयी हो तो सींच कर के अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायेगा।
- 6- आवजाया :- यदि नहर का पानी बोये खेत में फेलता है तथा गहराई 15 सेमी0 से अधिक हो तो दुगना यदि 30 सेमी0 से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिये सबसे अधिक दर का होगा लगेगा।
- 7 - सिंचाई कर में छूट :- देवीय आपदा जैसे :- ओला, पाला, टिड्डी, मॉहू आदि से फसल नष्ट हो जाये तो 50 प्रतिशत तक पर कुछ नहीं 50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत से कम पर आधा तथा 75 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींच कर में देय है।
- 8- गलत इन्द्राज :- असिंचित खेत यदि सिंचित लिखा हो तो पर्चा वितरण के 21 दिन के अन्दर यदि डाल सींच तो तोड़ तथा गलत जिंस अंकित हों तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/जिलेदार में से किसी एक को देना चाहिये अन्यथा अमान्य होगा। ध्यान रहे कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के 15 दिन के अन्दर फसल ना काटें।

(ब) :- नहर से सम्बन्धित समस्या हेतु निम्न प्रकार से सम्पर्क करें :-

- 1- अधिशासी अभियन्ता :- नहरों का संचालन नहरी सम्पत्ति की नीलामी एवं भूमि का प्रतिकर एवं खौदी से हानि नालों की सफाई तथा नहरी पटरी पर वाहन चलाने की अनुमति आवजाया एवं तावान।
- 2- सहायक अभियन्ता :- कुलाबों के स्थान एवं त्रुटि एवं पानी की मांग नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।
- 3- टेलों तक पानी की कमी खौदी, कटिंग एवं नालों की सफाई तथा कुलाबों का सही ढंग से लगाना।

(स) :- क्या करें :-

- 1- सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
- 2- पानी उचित गहराई में ही लगायें।
- 3- पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें।
- 4- पानी न मिलने पर अथवा नहरों से कटिंग/खौदी होन पर अवर अभियन्ता/सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करें।

(द) :- नहर ना काटें, बन्धा ना लगायें, कुलाबों के स्थान में परिवर्तन ना करें, नहर की सड़क पर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर अथवा ट्रक आदि बिना पूर्व अनुमति ना ले जायें, ये दण्डनीय है।

राजवाह व माइनरों के प्रभारी अधिकारियों की जानकारी

मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-12, अलीगढ़

क्र० सं०	अधिशासी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	जिलेदार	अवर अभियन्ता	नहर का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री विनोद कुमार गुप्ता (अधिशासी अभियन्ता) 0571-2701279	श्री जावेद अली (स० अ० प्रथम) 7906206113	श्री विजयपाल सिंह (जिलेदार प्रथम) 9411688343	श्री अनिल कुमार 9410676537	लखावटी शाखा (कि०मी० 63.940 से टेल तक), राजवाह सालाबाद, मा०, चौड़ेरा, मा० मौहम्मदपुर, मा० दानपुर
2		श्री ब्रज किशोर (स० अ० द्वितीय) 9456091565	श्री आशुतोष (जिलेदार द्वितीय) 8533001406	श्री हरवीर सिंह 9045097970	राजवाह धर्मपुर, मा० शेरपुर, मा० उदयपुर, मा० जादौपुर, मा० खरकवारी, मा० बैजला, मा० दलपतपुर, मा० भाऊपुर, मा० बनूपुर, मा० सिंहपुर, मा० तरैची, राजवाह लोहगढ़, मा० नागर, मा० टण्डौली
3		श्री एस० के० गौतम (स० अ० तृतीय) 9319824801	श्री महेश चन्द्र गुप्ता (जिलेदार तृतीय) 9411417555	श्री बृजेश कुमार शाक्य 8057909399	राजवाह अतरौली एवं मा० पन्ड्रावल, मा० मोहिउद्दीनपुर, मा० कासिमपुर, मा० सूरतगढ़, मा० बूलापुर, मा० गिजरौली, मा० हरचन्दपुर, मा० नौरथा, मा० मौहकमपुर
4		श्री नसीम अहमद (स० अ० चतुर्थ) 9412317806		श्री कुलदीप कुमार वर्धन 9756702094	राजवाह इज्जतपुर, राजवाह रहमापुर, मा० चण्डौली, राजवाह बरला, मा० आजादपुर, मा० दतावली, राजवाह छर्रा, मा० छबीलपुर, मा० भमौरी, मा० मझोला, मा० मकदूमनगर, मा० कनोवी, मा० विरसुआ